राजस्थान सरकार

<u>(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)</u>

प्रतिवेदन संख्याः– 102

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में डिग्गी–फव्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन सर्वेक्षण प्रतिवेदन

जून, 2007

प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा,
कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन,
राजस्थान, जयपुर

प्राक्कथन

प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा जारी होने वाले प्रतिवेदनों की श्रृंखला में यह 102 वां प्रतिवेदन है। अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में कियान्विति डिग्गी फव्वारा कार्यकम का मूल्यांकन सर्वेक्षण सपांदित किया गया । वर्ष 2005–06 में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों की गंग, भाखडा, सिद्वमुख नोहर एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहर प्रणालियों में अकाल राहत विभाग एवं कृषि विभाग के माध्यम से डोबटेल कर कियान्वित किया गया। प्रकाशित प्रतिवेदन में कार्यो की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उसका उत्पादन पर प्रभाव का आंकलन किया गया है ।

मै आशा करता हूं कि यह प्रतिवेदन जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को भविष्य में डिग्गी फव्वारा कार्यकम के कियान्वयन में उपयोगी सिद्व होगा ।

जून,2007

(मनोज शर्मा)
आई.ए.एस.
आयुक्त कृषि,
राजस्थान, जयपुर

अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

- यह कार्यक्रम वर्ष 2005–06 के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों के गंग, भाखडा, सिद्व मुख्य नहर एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कियान्वित किया गया ।

- कार्यक्रम अकाल राहत विभाग एवं कृषि विभाग के माध्यम से डोवटेल कर कियान्वयन किया गया ।

- कुल 1100 डिग्गीयों के निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्व 1010 निर्माण कार्य स्वीकृत हुए, जिसके विरूद्व 113 कच्ची डिग्गी (जैसलमेर में) तथा 712 पक्की डिग्गीयों का निर्माण किया गया ।

- नकद भुगतान धटक एवं अकाल राहत श्रमिक धटक हेतु समस्त कृषक निर्धारित पात्रता रखते थे ।

- लाभार्थी कृषकों में से 59 प्रतिशत कृषक राजस्व रिकार्ड अनुसार 23 प्रतिशत सामान्य आवण्टी, 5 प्रतिशत विशेष आवण्टी, एवं 13 प्रतिशत गैर खातेदार के रूप में भूमि का स्वामित्व रखते थे ।

- कृषकों के पास 5.60 हैक्टर औसत भूमि थी ।

- 2 प्रतिशत कृषकों द्वारा ही डिग्गी निर्माण हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया गया ।

- 81 प्रतिशत कृषकों द्वारा डिग्गी पर पम्पसेट लगाये गये है ।

- पम्पसेट लगाने वाले 51 प्रतिशत कृषकों को अनुदान प्राप्त हुआ है ।

- 74 प्रतिशत डिग्गीयों में पोलिथिन लाईनिंग का प्रयोग जल के रिसाव को रोकने हेतु किया गया ।

- 99 प्रतिशत डिग्गीयों के निर्माण की गुणवत्ता अच्छी है एवं उनमें वर्ष के दोरान जल संग्रहण किया गया।

- 11 प्रतिशत 4 लाख लिटर, 17 प्रतिशत 6 लाख लिटर एवं शेष 72 प्रतिशत डिग्गीयॉ 8 लाख लिटर क्षमता की है ।

- 8 लाख लीटर क्षमता कि 72 प्रतिशत निर्मित डिग्गीयों में से वर्ष के दोरान 50 प्रतिशत में प्रथमबार में, 52 प्रतिशत द्वितीयबार में तथा 35 प्रतिशत में तृतीयबार में पूर्णरूपेण क्षमतानुसार जल संग्रहित नहीं हुआ ।

- 66 प्रतिशत कृषकों द्वारा फव्वारा सेट स्थापित किये गये । फव्वारा सेट लगाने वाले कृषकों में से 70 प्रतिशत को विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ ।

- वर्ष में इन कार्यो के फलस्वरूप औसत 1.80 हैक्टर प्रति कृषक द्वारा अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र में वृद्वि हुयी ।

- 85 प्रतिशत कृषकों के अनुसार आवश्यक सिंचाई संख्या में वृद्वि हुयी ।

- गैहू, चना, एवं सरसों फसल की औसत उत्पादकता में कमशः 445, 210 एवं 192 किलोग्राम प्रति हैक्टर की अभिवृद्वि हुयी ।

- नहर बन्दी के दोरान कृषकों को उनकी एवं मवेशियों की आवश्यकता के लिये जल समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सका ।

- 99 प्रतिशत कृषकों को डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम से लाभ प्राप्त हुआ है ।

अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत वर्ष 2005–06
में डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन सर्वेक्षण

प्रस्तावनाः–

राज्य के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ एवं बीकानेर जिलों के अधिकांश क्षेत्र में गंग, भाखडा, सिद्वमुख्य नहर एवं इन्दिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई होती है । इस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई से जल प्लावन (वाटर लोगिंग) की समस्या है, वहीं पोंगडेम में पानी की आवक कम होने से सिचांई हेतु पानी कृषकों को अपर्याप्त मात्रा में मिल रहा था, जिससे अधिकांश क्षेत्र में पानी के अभाव में फसलें प्रभावित हो रही थी ।

इस समस्या के समाधान हेत राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण एवं फव्वारा सेट की योजना क्रियान्वित की जा रही थी, जिसके तहत डिग्गी निर्माण, फव्वारा एवं पम्पसेट पर डिग्गी की क्षमतानुसार निम्नानुसार अनुदान कृषि विभाग द्वारा कृषकों को देय था ।

क्र. सं.	डिग्गी की क्षमता (लाख लीटर में)	डिग्गी की इकाई लागत रूपये में	डिग्गी निर्माण पर अधिकतम अनुदान राशि रूपयों में	फव्वारा पर देय अनुदान राशि रूपयों में	पम्पसेट पर देय अनुदान राशि रूपयों में	कुल देय अनुदान राशि रूपयों में
1	2	3	4	5	6	7
1.	4	1,05,000/–	20,000/–	3750/–	3000/–	27000/–
2	6	1,35,000/–	30,000/–	3750/–	3000/–	37000/–
3.	8	1,63,000/–	40,000/–	3750/–	3000/–	47000/–

वर्ष 2005–06 में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों को अकाल ग्रस्त धोषित किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इन जिलों के नहर प्रणाली क्षेत्रों में अकाल राहत कार्यो के तहत डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम लिया जावे । इन

कार्यो के तहत श्रमधटक (लेबर कम्पोनेन्ट) अकाल राहत से तथा डिग्गी निर्माण मेटेरियल धटक किसान के स्वंय के द्वारा या ऋण के माध्यम से एवं कृषि विभाग के आंशिक अनुदान के द्वारा डोबटेल किया जावे । इससे काफी बडे पैमाने पर डिग्गीयों का निर्माण कार्य हो सकेगा, जिसके फलस्वरूप एक ओर तो अकाल राहत के अन्तर्गत स्थायी निर्माण कार्य हो सकेगे तथा दूसरी और सिंचाई के पानी की बचत हो सकेगी, जिससे पानी का कुशलतम उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी ।

नकद अनुदान धटक व अकाल राहत श्रमिक घटकः–

अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम के लिये नकद अनुदान घटक व अकाल राहत श्रमिक धटक हेतु पात्रता निम्न प्रकार थीः–

इस योजना का लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों के अभाव ग्रस्त धोषित क्षेत्रों के किसान को देय था ।

1. गंग, भाखडा, सिद्वमुख नहर एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्रों के कृषक जो राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखते है तथा सामान्य या विशिष्ठ आवंटी, गैर खातेदार तथा जिनके खेत में डिग्गी निर्मित नहीं थी वे ही कृषक पात्र थे तथा जो अपने फार्म पर वर्ष में कम से कम एक सिंचित फसल लेते थे वे ही पात्र थे ।

2. कृषक को आई.एस.आई. फव्वारा सेट एवं पम्पसेट (विधुत/डीजल) क्रय करना था।

3. इस योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु क्षेत्र की मुख्य नहर एवं सह नहर को चालू हालत में होना आवश्यक था।

4. कृषक द्वारा खाली डिग्गी निर्माण करने की स्थिति में भी अकाल सहायता एवं अनुदान देय था एवं फव्वारा सेट तथा पम्पसेट की बाध्यता नहीं थी ।

<u>राहत सहायता अनुदान का प्रकार एवं सीमा :–</u>

कृषक द्वारा विभिन्न आकार की निर्धारित क्षमता की डिग्गी बनाने पर निम्नानुसार नकद भुगतान एवं अकाल सहायता देय थी ।

क्र. सं.	डिग्गी की क्षमता (लाख लीटर में)	डिग्गी की इकाई लागत रूपये में	अकाल राहत सहायता शामिल धटक रूपयों में	अकाल राहत सहायता के तहत देय गैहूं का मूल्य4.60 प्रति किलों.	डिग्गी निर्माण पर अधिकतम अनुदान राशि रूपयों में नकद 25 प्रति.	फव्वारा पर देय अनुदान राशि रूप्यों में	पम्पसेट पर देय अनुदान राशि रूप्यों में	कुल देय अनुदान राशि रूप्यों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	105000/–	31500/–	23625/–	7875/–	3750/–	3000/–	38250/–
2.	6	135000/–	40500/–	30375/–	10125/–	3750/–	3000/–	47250/–
3	8	163000/–	49000/–	36750/–	12250/–	3750/–	3000/–	55750/–

यदि कोई कृषक उपरोक्त मापदण्ड से बडे आकार की डिग्गी का निर्माण करता तो भी उसे इस योजना के अन्तर्गत लाभ उपरोक्त पात्रता के अनुसार ही देय था, लेकिन चार लाख लीटर से कम क्षमता की डिग्गी पर अनुदान देय नही था ।

मजदूरी का भुगतान 75 प्रतिशत गैहूं के रूप में तथा 25 प्रतिशत नकद देय था । गैहूं का भुगतान सहायता विभाग द्वारा तथा नकद राशि का भुगतान कृषि विभाग द्वारा डिग्गी निर्माता के माध्यम से श्रमिकों को किया जाना था ।

भौतिक प्रगति :–

अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में कुल 1100 डिग्गी के निर्माण कार्य के लक्ष्यों के विरूद्व 1010 निर्माण कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें से 712 पक्की डिग्गी एवं 113 कच्ची डिग्गीयों का निर्माण कार्य हुआ । जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :–

क. सं.	जिला	अकाल राहत के तहत डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम वर्ष 2005–06		प्रगति डिग्गी निर्माण		
		लक्ष्य	स्वीकृति	कच्ची	पक्की	कुल
1.	श्रीगंगानगर	200	215	–	199	199
2.	हनुमानगढ	50	58	–	49	49
3.	बीकानेर	450	525	–	393	393
4.	जैसलमेर	400	212	113	71	184
	योग :–	**1100**	**1010**	**113**	**712**	**825**

मूल्यांकन सर्वेक्षणः–

वर्ष 2005–06 में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों की गंग, भाखडा, सिद्व मुख्य नहर एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहर प्रणालीयों अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पक्की डिग्गीयों के मूल्यांकन कराया गया ।

मूल्यांकन सर्वेक्षण के निम्न उद्‌देश्य थे :–

1. डिग्गी निर्माण हेतु पात्रता की पालना का अध्ययन ।
2. डिग्गी के साथ फव्वारा व पम्पसेट का अध्ययन ।
3. निर्माण की गुणवत्ता ।
4. उपयोगिता एवं उत्पादन पर प्रभाव

नमूना चयन एवं सर्वेक्षण हेतु दिशा निर्देश :–

सर्वेक्षण अध्ययन हेतु नमूना चयन के लिये स्टार्टीफाइड रेण्डम चयन विधि का प्रयोग करते हुए लाभान्वित क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र के स्टार्टा मानकर प्रत्येक सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र में वर्ष 2005–06 में अकाल राहत के तहत निर्मित पक्की डिग्गीयों में से 15 प्रतिशत पक्की डिग्गीयों का चयन आवंटित रेण्डम कालम की सहायता से, सभी लाभार्थियों की सूची हिन्दी वर्णमाला के क्रम में तैयार करने के उपरान्त किया गया । सर्वेक्षण हेतु चयनित कृषक का सर्वेक्षण सहायक कृषि अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाकर जिला परिषद/खण्ड स्तर पर सारिणीकरण का कार्य किया गया।

जिलेवार चयनित एवं सर्वेक्षण नमूनों की संख्या निम्न प्रकार से है :–

क.सं.	जिला	पक्की डिग्गी	सर्वेक्षण हेतु चयनित	सर्वेक्षित नमूनों

		निर्माण संख्या	नमूनों की संख्या	की संख्या
1.	श्रीगंगानगर	199	32	32
2.	हनुमानगढ	49	7	7
3.	बीकानेर	393	55	55
4.	जैसलमेर	71	10	10
	योग :–	712	104	104

इस प्रकार शत–प्रतिशत चयनित नमूनों का सर्वेक्षण कार्य किया गया ।

सर्वेक्षण परिणामों का विश्लेषण :–

1. **जाति के आधार पर वर्गीकरण :–** सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार इस कार्यक्रम में 8 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 48 प्रतिशत अन्य पिछडी जाति एवं शेष 44 प्रतिशत कृषक सामान्य जाति के थे ।
2. **भूमि स्वामित्व :–** दिशा निर्देश अनुसार भूमि स्वामित्व के अनुसार नहर प्रणालियों के कृषक जो राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखते है तथा सामान्य या विशिष्ठ आवंटि या गैर खातेदार इस कार्यक्रम हेतु पात्र थे । सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार भूमि स्वामित्व अनुसार लाभान्वित कृषकों की स्थिति जिलेवार निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	जिला	नमूनों की संख्या	भूमि के स्वामित्व पर लाभान्वित कृषकों की स्थिति (संख्या)			
			राजस्व रिकार्ड अनुसार	सामान्य आवंटी	विशेष आवंटी	गैर खातेदार
1.	श्रीगंगानगर	32	26	3	–	3
2.	हनुमानगढ	7	7	–	–	–
3.	बीकानेर	55	28	14	2	11
4.	जैसलमेर	10	–	7	3	–

	योग :–	104	61	24	5	14
	प्रतिशत	100	59	23	5	13

कुल लाभान्वित कृषकों में से 59 प्रतिशत कृषक राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वामित्व धारित करते है, 23 प्रतिशत कृषक सामान्य आवंटी, 5 प्रतिशत विशेष आवंटी तथा शेष 13 प्रतिशत गैर खातेदार कृषक है ।

<u>श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण :–</u> सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार लाभान्वित कृषकों में से कोई भी सीमान्त कृषक नहीं था, लधु कृषक 9 प्रतिशत मात्र तथा शेष अन्य श्रेणी के कृषक थे ।

<u>धारित औसत भूमि :–</u> सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार 5.60 हैक्टर औसत भूमि कृषकों के पास थी । जिलेवार ओसत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	जिला	नमूनों की संख्या	कृषकों द्वारा धारित भूमि (हैक्टर में)	
			कुल भूमि	औसत भूमि
1.	श्रीगंगानगर	32	170.52	5.33
2.	हनुमानगढ	7	39.45	5.64
3.	बीकानेर	55	311.07	5.66
4.	जैसलमेर	10	60.75	6.08
	योग :–	104	581.79	5.60

विविध :– सर्वेक्षण अनुसार विविध बिन्दुओं के सम्बन्ध में परिणाम निम्न प्रकार से है :–

1. डिग्गी निर्माण से पूर्व समस्त लाभान्वित कृषकों द्वारा वर्ष में कम से कम एक सिंचित फसल ली जाती रही है।

2. जिन क्षेत्रों में मुख्य नहर एवं सहायक नहर चालू हालत में थी उन्हीं क्षेत्रों में अकाल राहत कार्यक्रम के तहत डिग्गी का निर्माण कार्य हुआ है ।

3. मात्र 2 प्रतिशत कृषकों द्वारा ही डिग्गी निर्माण कार्य के लिये बैंकों से ऋण लिया गया है ।

4. शत–प्रतिशत लाभान्वित कृषकों को डिग्गी निर्माण पर अनुदान प्राप्त हुआ है ।

5. 74 प्रतिशत लाभान्वित कृषकों द्वारा डीजल पम्पसेट एवं 7 प्रतिशत कृषकों द्वारा विधुत पम्पसेट निर्मित डिग्गी पर लगाया गया है । इस प्रकार कुल 81 प्रतिशत लाभान्वितों ने डिग्गी पर पमपसेट लगाये है । इनमें से 4 प्रतिशत द्वारा बैंक से ऋण लेकर यह कार्य किया गया है ।

6. पम्पसेट लगाने वाले 51 प्रतिशत लाभान्वित कृषकों को पम्पसेट पर अनुदान प्राप्त हुआ है ।

7. पक्की निर्मित डिग्गीयों के डिग्गी निर्माण कार्य की स्वीकृति 42 प्रतिशत कृषकों को अप्रैल, 2005 में, 54 प्रतिशत को मई, 2005 में एवं शेष 4 प्रतिशत को जून, 2005 में प्राप्त हो गयी । एवं 37 प्रतिशत कृषकों द्वारा अप्रैल, 2005 में, 40 प्रतिशत द्वारा मई, 2005 में तथा 23 प्रतिशत द्वारा जून, 2005 में कार्य प्रारम्भ कर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया ।

8. 74 प्रतिशत डिग्गीयों में पक्के निर्माण कार्य के लिये पोलिथिन लाईनिंग का प्रयोग जिल के रिसाब रोकने के लिये किया गया है ।

9. 99 प्रतिशत डिग्गीयों के निर्माण की गुणवत्ता अच्छी है तथा 1 प्रतिशत की साधारण है ।

10. 99 प्रतिशत डिग्गीयों में वर्ष के दौरान जल संग्रहित किया गया । एक प्रतिशत में जल संग्रहित नहीं किया गया, इसके अतिरिक्त एक प्रतिशत डिग्गी में जल सुगमता से संग्रहित नहीं हुआ ।

11. **डिग्गीयों में जल संग्रहण :–** सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार निर्मित पक्की डिग्गीयों की क्षमता की तुलना में जल संग्रहण का विवरण वर्ष के दौरान निम्न प्रकार से रहा :–

क.सं.	क्षमता / भराव (लाख लीटर में)	निर्मित पक्की डिग्गीयां (क्षमतानुसार)		वर्ष 2005–06 में जल संग्रहण करने वाली डिग्गीयां					
		संख्या	प्रतिशत	प्रथमबार		द्वितीयवार		तृतीयबार	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	4.00	11	11	55	53	41	39	43	41
2.	6.00	18	17	24	23	38	37	14	13
3.	8.00	75	72	23	22	21	20	38	37
	योग :–	**104**	**100**	**102**	**98**	**100**	**96**	**95**	**91**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 4, 6, एवं 8 लाख लीटर क्षमता की निर्मित पक्की डिग्गीयॉ क्रमशः 11 प्रतिशत, 17 प्रतिशत एवं 72 प्रतिशत थी । वर्ष के दौरान 4 लाख लीटर जल का संग्रहण 53 प्रतिशत प्रथमबार, 39 प्रतिशत द्वितीयबार में तथा 41 प्रतिशत डिग्गीयों में तृतीयबार में किया गया । 4 लाख से 6 लाख लीटर तक जल का संग्रहण क्रमशः 23 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, एवं 13 प्रतिशत डिग्गीयों में किया गया तथा 6 लाख से 8 लाख लीटर जल का संग्रहण क्रमशः 22 प्रतिशत, 20

प्रतिशत, एवं 37 प्रतिशत डिग्गीयों में किया गया, जबकि 8 लाख लीटर की क्षमता 72 प्रतिशत डिग्गीयॉ थी । इस प्रकार 8 लाख लीटर क्षमता की निर्मित 72 प्रतिशत डिग्गीयों में से 50 प्रतिशत प्रथमबार, 52 प्रतिशत द्वितीयबार, तथा 35 प्रतिशत तृतीयबार में पूर्णरूपेण क्षमता अनुसार जल संग्रहित नहीं हुआ।

कुल 66 प्रतिशत कृषकों द्वारा फव्वारा सेट लिये गये, जिनमें से 63 प्रतिशत कृषकों द्वारा नकद पर एवं 3 प्रतिशत द्वारा बैंक ऋण पर यह क्रय किये गये। फव्वारा सेट लगाने का 70 प्रतिशत कृषकों को विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ।

12. डिग्गीयों के निर्माण के फलस्वरूप उसमें जल भराव के उपयोग से वर्ष के दौरान औसत 1.80 हैक्टर प्रति कृषक अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की गयी ।

13. डिग्गीयों के निर्माण के फलस्वरूप 85 प्रतिशत कृषकों के अनुसार उनके फसल में उनके द्वारा आवश्यक सिंचाई संख्या में वृद्वि सम्भव हो सकी एवं 84 प्रतिशत कृषकों के अनुसार इसके कारण उनके द्वारा फसल पद्वति में बदलाव किया जाना सम्भव हो सका ।

14. 97 प्रतिशत कृषकों के अनुसार डिग्गी निर्माण से उनके सिंचित फसलों की औसत उत्पादकता में भी वृद्वि हुयी । मुख्यतया गैहूं, चना, एवं सरसों की फसल औसत उत्पादकता में क्रमशः 445, 210 एवं 92 किलोग्राम प्रति हैक्टर की अभिवृद्वि हुयी ।

15. 96 प्रतिशत कृषकों के अनुसार डिग्गी निर्माण से नहर बन्दी के दोरान उनकी एवं उनके मवेशियों की आवश्यकता के लिये जल समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सका ।

16- 99 प्रतिशत कृषकों की राय में उनको अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम से लाभ प्राप्त हुआ है ।